न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,

बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या :– 16/2019

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थीगण**
जसाराम पुत्र स्व. श्री उरजाराम जाति सीरवी (राठौड़) निवासी बेरा रूपजी का अरट बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर राज. हालनिवास 1st Main Nelagadaranahalli, Near Ashwini Hospital Bangalore North Bengaluru Nagasandra Krnataka		1. अणदाराम पुत्र स्व. श्री उरजाराम जाति सीरवी (राठौड) निवासी बेरा रूपजी का अरट बिलाड़ा तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर हालनिवास आनन्दसागर कृषि फार्म, ग्राम खारिया मीठापुर तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर 2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा जिला जोधपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

– – – – –

उपस्थितिः– प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल चौधरी अधिवक्ता

अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

अप्रार्थी संख्या 2 सरकारी पैरोकार।

:: आदेश :: **दिनांक** 18-11-2019

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम खारिया मीठापुर तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1228/1 रकबा 15 बीघा 04 बिस्वा 10 बिस्वांशी आयी हुयी है। जो प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 की सयुक्त कब्जाकाश्त सुदा, सहखातेदारीसुदा व अविभाजित कृषि भूमि है। जिसमें प्रार्थी का 1/2 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा है। वादग्रस्त कृषि भूमि पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 अपने हक व हिस्से पर मौके पर काबिज है व काश्त कर रहे है। वादग्रस्त कृषि भूमि का प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के मध्य आपसी सहमति से मौखिक बंटवाड़ा हो चुका है। उक्त मौखिक बंटवाड़ा प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के मध्य प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 में वर्णित हक व हिस्से अनुसार हुआ है वादग्रस्त भूमि का प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 मध्य आज दिन तक लिखित व विधिवत् बंटवाड़ा नही हुआ है व न ही राजस्व नक्शे में मुताबिक प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 में वर्णित हिस्से

सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

के अनुसार तरमीम हुई है तथा वादग्रस्त भूमि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 में वर्णित हक व हिस्से के अनुसार राजस्व रेकर्ड में सयुक्त रूप से प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से सयुक्त खातेदारी के रूप में दर्ज है। वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 में वर्णित प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के हक व हिस्से के संबंध में प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को विधिवत् बंटवाड़ा व राजस्व नक्शे में मुताबिक विधिवत् बंटवाड़ा के अनुसार तरमीम करवाने हेतु कई बार निवेदन किया परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 ने आज दिन तक न तो प्रार्थी के निवेदन को स्वीकार किया व न ही प्रार्थी के निवेदन से सहमत हुआ व न ही आज दिन तक वादग्रस्त भूमि का विधिवत् बंटवाड़ा किया इसलिए प्रार्थी को अपने हक व हिस्से की प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 में वर्णित वादग्रस्त भूमि के बंटवाड़ा व राजस्व नक्शे में तरमीम करवाने के लिए वाद बाबत् बंटवाड़ा का प्रस्तुत कर दिया है। दिनांक 18.02.2019 को अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी को इस आशय की धमकी दी कि अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 में वर्णित उसके हक व हिस्से की भूमि को बिना विधिवत् बंटवाड़ा किये अन्य सख्श को बैचान हस्तान्तरण कर देगा तथा मौके से बेदखल कर देगा, अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा किये जाने वाले उक्त गैर कानूनी कृत्य को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अन्त में निवेदन किया कि राजस्व मूलवाद के निर्णय तक प्रार्थी के पक्ष में एवं अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 में वर्णित प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के सयुक्त खातेदारी की वादग्रस्त भूमि को बीना विधिवत् बंटवाड़ा कराये किसी अन्य को बैचान, वसीयत, बख्शीस वगैरा से हस्तान्तरण नही करे तथा वादग्रस्त भूमि में स्थित प्रार्थी के हक व हिस्से की भूमि से अप्रार्थी संख्या 1 न तो स्वयं दखलन्दाजी करे तथा न ही अपने हाली एजेन्ट, नौकर, मजदूर, रिश्तेदार परिवार के सदस्य भू माफिया, किराये के गुण्डो वगैरा से ही कोई दखलन्दाजी करावे इसके साथ ही अप्रार्थी संख्या 2 को भी जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वो अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा सयुक्त खातेदारी की वादग्रस्त भूमि पर कराये जाने वाले हस्तान्तरण का पंजीयन नही करे तथा न ही ऐसे हस्तान्तरण के आधार पर राजस्व रेकर्ड में किसी भी प्रकार का रदोबदल करे तथा राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

(रवीन्द्र कुमार)

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी के नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुए। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री नरपतसिंह सोलंकी ने वकालतनामा पेश करने की अण्डरटेकिंग लेने के बावजूद वकालतनामा व जवाब पेश नही करने पर अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध दिनांक 13.11.2019 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए न्यायालय को विधि द्वारा स्थापित निम्न तीन बिन्दुओं का तय करना है :–

प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति :– प्रकरण के अनुतोष प्राप्त करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति अपने पक्ष में साबित करने का भार प्रार्थी पर है। जिस बाबत् विद्धान अधिवक्ता प्रार्थी ने वर्णित तथ्यों की पुनरावृति करते हुए मुख्य रूप से यह तर्क दिया कि प्रार्थना पत्र के साथ पेश जमाबन्दी संवत् 2068 से 2071 के राजस्व रेकर्ड अनुसार ग्राम खारिया मीठापुर तहसील बिलाड़ा में स्थित विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1228/1 रकबा 15 बीघा 04 बिस्वा 10 बिस्वांशी प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से सयुक्त खातेदारी के रूप में दर्ज है, जिसके अनुसार विवादग्रस्त भूमि में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा है, इस प्रकार प्रार्थी विवादग्रस्त भूमि का रेकर्डेड खातेदार है इसलिए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया जाता है।

पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा यह सामने आया है कि ग्राम खारिया मीठापुर तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1228/1 रकबा 15 बीघा 04 बिस्वा 10 बिस्वांशी प्रार्थी व अप्रार्थी की सयुक्त खातेदारी भूमि है। प्रार्थी ने अपनी सयुक्त खातेदारी भूमि में बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का दावा पेश किया है। प्रार्थी सयुक्त खातेदारी भूमि में रेकर्डेड खातेदार होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है तथा अगर सयुक्त खातेदारी एवं 1/2 हिस्से की कब्जे काश्त की भूमि का किसी प्रकार से बैचान/हस्तान्तरण कर लिया जाता है तो अपूर्णनीय क्षति प्रार्थी को हो जायेगी। इस कारण मेरे विनम्र मत में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन तथा अपूर्णनीय क्षति के तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया जाता है। अप्रार्थी संख्या 1 ने

कार्यालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

(रविन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर
एव उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

पेज-५

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार का जवाब पेश नही कर तथ्यों का खण्डन नही किया है।

आदेश

अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है एवं ताफैसला दावा अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषधाज्ञा जारी की जाती है कि वो ग्राम खारिया मीठापुर तहसील बिलाडा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1228/1 रकबा 15 बीघा 04 बिस्वा 10 बिस्वांशी के राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखेगें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपरोक्त पत्रावली मूलवाद के साथ नथी हो।

18.11.2019

(रवीन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा।

सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाडा

आदेश आज दिनांक 18.11.2019. को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

18.11.2019

(रवीन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा।

सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाडा